उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

पो0–गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

वेबसाइट–www. ukpsc.gov.in

Email-ukpschdr@gmail.com

☎ मोबाइल नं0 7060002410

विज्ञापन संख्या – 01/विज्ञापन/ई–2/2016–17

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2016

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	05. 04. 2016 (मंगलवार)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	26. 04. 2016 (मंगलवार) (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
e-challan का प्रिन्टआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	–	28. 04. 2016 (बृहस्पतिवार) (सांय 4:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	29. 04. 2016 (शुक्रवार) बैंक समयावधि तक।
परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	29. 04. 2016 (शुक्रवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक)

<u>अति महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

1– अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2– आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

3– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 26.04.2016 तक विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों, साथ ही उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत भी हों।

4– आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाति अध्ययन कर लें तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र को सही–सही एवं पूर्ण रूप से भरें। **आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।**

5– ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु, सेवायोजन पंजीयन एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6– अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण इत्यादि) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

7– प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं e-challan /Net Banking/Debit Card के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– समस्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है।

9– एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है, तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

10– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को ''Online application'' प्रक्रिया में ''Submit'' बटन को ''Click'' करने एवं नियत तिथि तक e-challan / Net Banking/ Debit Card द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही ''Online application'' की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

11– अभ्यर्थी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट–1, परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट–2, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–3, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–4 तथा अनुभव प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–5 का अवलोकन करें।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समूह 'ग' के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त कुल 181 पदों पर सीधी भर्ती (परीक्षा माध्यम) द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 26.04.2016 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जायेगी परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) होने की दशा में विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर जून, 2016 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

<u>रिक्तियों की संख्या</u> :– रिक्तियों की कुल संख्या 181 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र.सं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
					महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	पूर्व सैनिक	निःशक्त (विकलांग)
(01)	**(02)**	**(03)**	**(04)**	**(05)**	**(06)**	**(07)**	**(08)**	**(09)**
01	समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड सचिवालय)	समूह–'ग'	अनारक्षित	73	18	01	04	02
			अन्य पिछडा वर्ग	19	05	–	01	01
			अनु0 जनजाति	06	02	–	–	–
			अनुसूचित जाति	16	05	–	01	–
			योग	**114**	**30**	**01**	**06**	**03**
02	समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग)	समूह–'ग'	अनारक्षित	06	01	–	–	–
			अन्य पिछडा वर्ग	03	–	–	–	–
			अनु0 जनजाति	00	–	–	–	–
			अनुसूचित जाति	02	–	–	–	–
			योग	**11**	**01**	**00**	**00**	**00**
03	सहायक समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड सचिवालय)	समूह–'ग'	अनारक्षित	18	06	–	01	01
			अन्य पिछडा वर्ग	–	–	–	–	–
			अनु0 जनजाति	01	–	–	–	–
			अनुसूचित जाति	01	–	–	–	01
			योग	**20**	**06**	**00**	**01**	**02**
04	सहायक समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग)	समूह–'ग'	अनारक्षित	23	06	–	01	–
			अन्य पिछडा वर्ग	05	01	–	–	–
			अनु0 जनजाति	01	–	–	–	–
			अनुसूचित जाति	07	02	–	–	–
			योग	**36**	**09**	**00**	**01**	**00**

कुल योग –	181	46	01	08	05

<u>नोटः–1</u> सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापित पदों की संख्या मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल अपील संख्या– **431 of 2014** पूनम गोस्वामी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

<u>नोटः–2</u> विकंलागता की उसी उपश्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा पद चिन्हांकित किया जायेगा।

<u>नोटः– समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता :–</u>

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 04 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में **समूह–ग** के पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097/ XXX (2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। **"उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं सम्मिलित है"।**

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर सेवाओं में कार्यरत है, को उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुक्रम में उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्राप्त की गई है तथा उस अनापत्ति की सूचना उसने संबधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी है। इस प्रकार दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(ii) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

(iii). अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय राज्याधीन सेवाओं में होने या न होने के सम्बन्ध में **हाँ/नहीं** को चुने।

<u>विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण</u>

<u>1. (क) समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग)</u>

(i) पदों की संख्या –125

(ii) वेतनमान – रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4800/–

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–'ग'),अस्थायी (जिसके निरन्तर चलते रहने की संभावना है)। अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) <u>(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –</u>

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।

(दो) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। **(केवल समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय हेतु)**

(तीन) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होगा :–

1. विण्डोज एवं इंटरनेट
2. एम0एस0 वर्ड
3. एम0एस0 एक्सेस
4. एम0एस0 एक्सेल
5. एम0एस0 पावर प्वाईंट

स्पष्टीकरण :– कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualifying nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>(ख) अधिमानी अर्हता :–</u> कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति होनी अनिवार्य है। **(केवल समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय हेतु)**

<u>(ग) अन्य अधिमानी अर्हता :–</u> (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

<u>(ख) सहायक समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग)</u>

(i) पदों की संख्या –56

(ii) वेतनमान :– रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4600/–

(iii) **पद का स्वरूप** :– अराजपत्रित पद (समूह–'ग'),अस्थायी (जिसके निरन्तर चलते रहने की संभावना है)। अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) <u>(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :–</u>

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।

(दो) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है।

(तीन) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होगा :–

1. विण्डोज एवं इंटरनेट
2. एम0एस0 वर्ड
3. एम0एस0 एक्सेस
4. एम0एस0 एक्सेल
5. एम0एस0 पावर प्वाईंट

स्पष्टीकरण :– कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualifying nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>(ख) अधिमानी अर्हता :–</u> कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति होनी अनिवार्य है।

<u>(ग) अन्य अधिमानी अर्हता :–</u> (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

2. <u>आयु सीमा</u> :– (क) आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2016 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1995 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(ख) <u>उच्चतम आयु सीमा में छूट</u> :— विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय—समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

3. <u>सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :—</u> उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में रिक्तियों की संख्या की तालिका के नीचे **"नोट"** देखें।

4. <u>राष्ट्रीयता :—</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश—केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो:

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

<u>5. चरित्र :—</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

<u>6. वैवाहिक प्रास्थिति :—</u> सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नीयां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

<u>7 शारीरिक स्वस्थता</u> :— किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड दो से चार के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें :

8. आरक्षण :— ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, **जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के ''परिशिष्ट–4'' में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख ''परिशिष्ट–4'' में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आवेदन–पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

9. आवेदन कैसे करें :— इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	05. 04. 2016 (मंगलवार)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	26. 04. 2016 (मंगलवार) (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
e-challan का प्रिन्टआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	–	28. 04. 2016 (बृहस्पतिवार) (सांय 4:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	29. 04. 2016 (शुक्रवार) बैंक समयावधि तक।
परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	29. 04. 2016 (शुक्रवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक)

10. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :—

(I) अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जायें।

(II) ऑनलाइन आवेदन हेतु **APPLICATION FOR RO/ARO EXAM-2016** के सम्मुख "**Click Here**" पर जाएं एवं Continue करें।

(III) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(IV) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Reset पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Continue पर Click करें।

(V) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format **(40 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो)** एवं हस्ताक्षर JPG Format **(20 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो)** में अपलोड करने होंगे।

(VI) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी Update पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में I Agree पर Click करें।

(VII) अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(VIII) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात 02 दिन पश्चात् ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते है। इसके लिए अभ्यर्थी www.ukpsc.gov.in पर जायें और "Submit the fee after 48 hours of filling the form" पर क्लिक करें।

(IX) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क एस.बी.आई. e-challan द्वारा **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/ Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

11. शुल्क : अभ्यर्थी को एस.बी.आई. e-challan/Net Banking/Debit Card **के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–**

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 200/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0) एवं उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)	रू0 80/– मात्र
03	उत्तराखण्ड विकलांग/पूर्व सैनिक	रू0 80/– मात्र

(I) निर्धारित अंतिम तिथि के बाद में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उसे निरस्त माना जायेगा।

(II) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

(III) जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

(IV) Net Banking/ Debit Card **के माध्यम से किये गये परीक्षा शुल्क भुगतान पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे।**

12. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/ नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules– 2013** और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली–2012, प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014 एवं तृतीय संशोधन–2015 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(3) प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा परीक्षा का मूल्यांकन उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली–2012, प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन– 2014 एवं तृतीय संशोधन–2015 में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(5) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड**– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(6) सामान्य, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित पदों के अनुसार ही प्रारम्भिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा)/अन्तिम चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त निर्धारित न्यूनतम अर्हक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अनर्ह माने जायेंगे।

(7) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

(8) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के पूर्व अपने सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
नोट :– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे दावों की पुष्टि में समस्त प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(10) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त **प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।** मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

(11) परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य

प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(14) परीक्षा के किसी भी स्तर में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र/ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण एंव मूल्यवान सामग्री को परीक्षा केन्द्र पर लाना वर्जित है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र/ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण एंव मूल्यवान सामग्री सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाए क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(16) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(17) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(18) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(19) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(20) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(21) <u>अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः–</u> कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(22) <u>अँगूठे का निशान (**Thumb Impression**):–</u> सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(23) <u>परीक्षा भवन में आचरण :–</u> परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(24) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(25) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्य फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(26) <u>अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा</u> :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यंत्र/ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर

आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(27) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(28) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचित किया जाना चाहिए।

(29) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(30) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनांए वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(31) यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(32) प्रारम्भिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क अभ्यर्थी के अनर्ह घोषित होने अथवा अन्य किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(33) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(34) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।

(35) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(प्रवेश चन्द्र डंडरियाल)
प्रभारी सचिव

परिशिष्ट–1

प्रारम्भिक परीक्षा निम्न नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है–

नगर कोड	नगर	जिला
01	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
02	रानीखेत	
03	बागेश्वर	बागेश्वर
04	चम्पावत	चम्पावत
05	नैनीताल	नैनीताल
06	हल्द्वानी	
07	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
08	रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर
09	काशीपुर	

नगर कोड	नगर	जिला
10	देहरादून	देहरादून
11	ऋषिकेश	
12	पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
13	श्रीनगर	
14	कोटद्वार	
15	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
16	नई टिहरी	टिहरी गढ़वाल
17	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
18	रूड़की	हरिद्वार
19	हरिद्वार	

नोटः– 1. यदि किसी परीक्षा केन्द्र हेतु अभ्यथियों की संख्या कम होगी तो उन अभ्यर्थियों को नजदीक के परीक्षा केन्द्र आंवटित किये जाऐंगे।

2. मुख्य परीक्षा हरिद्वार नगर, (जिला हरिद्वार) एवं हल्द्वानी नगर (जिला नैनीताल) के परीक्षा केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी।

परिशिष्ट–2

परीक्षा योजना

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु परीक्षा योजना निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	प्रश्न–पत्र	परीक्षा का स्वरूप	प्रश्न संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1	प्रारम्भिक परीक्षा	सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	150	150	02 घण्टे
2	मुख्य परीक्षा	(i) सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	100	100	02 घण्टे
		(ii) हिन्दी संरचना	परम्परागत प्रकृति	05	100	03 घण्टे
		(iii) निबन्ध	परम्परागत प्रकृति	03	100	03 घण्टे

परिशिष्ट–3

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 150 समयावधि : 02 घण्टे

1. सामान्य विज्ञान।
2. भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता के बाद भारतीय राजनीति।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति।
4. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में)।
5. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल।
6. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम।
7. सामान्य बुद्धि परीक्षण।
8. कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान।

सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है।

इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है।

भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे।

अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण, जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।

विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम–सामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों से जानकारी अपेक्षित होगी।

अभ्यर्थियों से कम्प्यूटर विज्ञान के आधारभूत ज्ञान, प्रबंधन एवं पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान अपेक्षित होगा।

सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणीतीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

उपरोक्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थीगण से उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में जानकारी अपेक्षित है।

Syllabus for Review/Assistant Review Officer
Preliminary Examination
General Studies

Number of Questions : 150 **Time Allowed : 02 hours**

The Paper of General studies will include questions on the following topics:

1. General Science.
2. History of India including India's struggle for freedom and post independence Indian polity.
3. Indian Economy and Culture.
4. Population, Environment and Urbanisation in Indian Context.
5. World Geography including Geography of India.
6. Current events of National and International importance.
7. General intelligence test.
8. Basic knowledge of computer.

Questions on General Science will cover general appreciation and understanding of Science including matters of every day observation and experience, as may be expected of a well educated person, who has not made a special study of any scientific discipline.

In History emphasis should be on broad understanding of social, economic and political aspects of Indian history. In the Indian National Movement, the candidates are expected to have synoptic view of the nature and character of the freedom movement, growth of nationalism and attainment of independence.

In Indian Polity Economy and culture, questions will test knowledge of country's political system including Panchayati Raj and community development broad features of economic policy in India and Indian Culture.

The candidates will be tested with respect to problems and relationship between Population, Environment and Urbanisation.

In world Geography, only general understanding of the subject will be expected. Questions on the Geography of India will relate to physical social and economic Geography of India.

On Current Events of National and International Importance, candidates will be expected to have knowledge about them.

Candidates are required to have basic knowledge of computer Science, Management and Environmental Science.

In General, Mental Ability, questions will test comprehension, reasoning and numerical ability.

Candidates are expected to have general awareness about the above subjects with special reference to Uttarakhand.

मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

अनिवार्य विषय

सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

कुल अंक : 100

प्रश्नों की संख्या : 100 समयावधि : 02 घण्टे

सामान्य विज्ञान के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे :–

1. सामान्य विज्ञान।
2. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं।
3. भारत का इतिहास।
4. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
5. भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था।
6. विश्व भूगोल एवं जनसंख्या।
7. विकास की दृष्टि से कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग।

सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर होंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम–सामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों से जानकारी अपेक्षित होगी।

भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पहलुओं का व्यापक अंतर्समझ के परीक्षण पर बल दिया जायेगा।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय एवं विकास तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है।

भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उम्मीदवारों का भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें भारतीय संविधान, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना से संबंधित व्यापक पहलू सम्मिलित होंगे।

विश्व भूगोल और जनसंख्या के अंतर्गत उम्मीदवारों की सामान्य समझ के साथ–साथ भारत के भूगोल का भौतिक/पर्यावर्णिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रश्न सम्मिलित रहेंगे।

अभ्यर्थीगण से विकास की दृष्टि से कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग पर आधारित ज्ञान अपेक्षित होगा।

उपरोक्त विषयों के बारे में उम्मीदवारों से उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में भी जागरूकता की अपेक्षा की जाती है।

Syllabus for Review/Assistant Review Officer
Main Examination
General Studies First Question Paper
(Objective type)

MM : 100

Number of Questions : 100 **Time Allowed : 02 hours**

The Paper on General studies will include questions on the following topics:

1. General Science.
2. Current events of National and International importance.
3. History of India.
4. Indian National Movement.
5. Indian Polity and Economy.
6. World Geography and Population.
7. Basic knowledge of computer and its application in the development.

Questions on General Science will cover general appreciation and understanding of Science including matters of every day observation and experience, as may be expected of a well educated person, who has not made a special study of any scientific discipline.

On Current Events of National and International Importance, candidates will be expected to have knowledge about them.

In History of India emphasis should be on broad understanding of economic, social, Cultural and political aspects of Indian history.

In Indian National movement, the candidates are exptected to have a synoptic view of the nature and character of the Indian freedom movement, growth of Nationalism and attainment of Independence.

In Indian Polity and Economy questions will test knowledge of the candidates pertaining to Indian Polity including. The Indian contitution, Panchayati Raj and Community development, Broad features of Indian Economy and Planning.

In world Geography and Population, only general understanding of the subject will be expected with inphasis on physical/ecological, economic and socio-demographic aspects of geography in India.

Candidates are required to have Basic knowledge of computer and its application in the development.

Candidates are expected to have general awareness about the above topics with special reference to Uttarakhand.

हिन्दी संरचना

(द्वितीय प्रश्न–पत्र)

अधिकतम अंक : 100 समयावधि : 03 घण्टे

हिन्दी संरचना : (Hindi Composition) इस प्रश्न–पत्र में कुल 5 प्रश्न और उनका अंक वितरण इस प्रकार होगा :–

(1) किसी दिये गये गद्यांश का (क) उचित शीर्षक (ख) सारांश (मूल गद्यांश का एक तिहाई) तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। 4+10+6 अंक

(2) किसी दिये हुए सरकारी पत्र का सारिणीरूप (Tabular Form) में सार लेखन। 15 अंक

(3) पत्राचार :– 15+15+15 अंक

(क) शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्र

(ख) कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञाप

(ग) विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी

(4) पारिभाषिक शब्दावली रूपान्तरण : 12 शब्द दिये जाने है, जिसमें से कोई 10 करने हैं।

10 शब्द अंग्रेजी से हिन्दी 10 अंक

(5) रूपान्तरण : 12 दिये गये शब्दों में से कोई 10 करने हैं।

10 शब्द हिन्दी से अंग्रेजी 10 अंक

निबन्ध

(तृतीय प्रश्न–पत्र)

अधिकतम अंक : 100 समयावधि : 03 घण्टे

इस प्रश्नपत्र के अन्तर्गत क, ख और ग तीन खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक–एक शीर्षक का चयन करते हुये (दी गयी शब्द सीमा में) कुल तीन निबन्ध हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखने होंगे :–

खण्ड (क) 1. साहित्य और संस्कृति 2. सामाजिक क्षेत्र 3. राजनीतिक क्षेत्र

(शब्द सीमा 600, अंक 35)

खण्ड (ख) 1. विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी 2. आर्थिक क्षेत्र 3. कृषि एवं व्यापार

(शब्द सीमा 600, अंक 35)

खण्ड (ग) 1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना क्रम 2. प्राकृतिक आपदायें : भू–स्खलन, चक्रवात भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि 3. राष्ट्रीय विकास योजनायें

(शब्द सीमा 600, अंक 30)

Syllabus for Direct Recruitment Competitive Examination for the post of Review Officer/Assistant Review Officer
Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination
Ability Test (Qualifying Nature)

भाग- 1

(Review Officer/Assistant Review Officer)

Time Allowed: One hour M.M.: 100

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office (Maximum Marks – 100; Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40; Time allowed: One Hour)

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1 - Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2 - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

Note-3- भाग–1 में अर्जित अंक अंतिम चयन परिणाम में जोडे नहीं जायेंगे। उक्त परीक्षा केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी, जिसमें 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

भाग - 2

(Compulsory Only for Assistant Review Officer)

Time Allowed: 10 Minutes

Practical

1. अनिवार्य :– हिन्दी टंकण (अनिवार्य) के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न–पत्र दिया जायेगा। हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर 8000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।
2. वैकल्पिक :– अंग्रेजी टंकण (वैकल्पिक) के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न –पत्र दिया जायेगा। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण हेतु 9000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।

नोट – भाग–2 के अन्तर्गत कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

भाग - 3

(Compulsory Only for Review Officer, Uttarakhand Secretariat)

Time Allowed: 10 Minutes

Practical

1. अनिवार्य :– हिन्दी टंकण (अनिवार्य) के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न–पत्र दिया जायेगा। हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।
2. वैकल्पिक :– अंग्रेजी टंकण (वैकल्पिक) के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न –पत्र दिया जायेगा। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण हेतु 8000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।

नोट – भाग–3 के अन्तर्गत कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

परिशिष्ट–4

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .. .. पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटीमजिस्ट्रेट /उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम....................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ....

तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्ययक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु.. लिंग.............................. पहचान चिन्ह.. ....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हॉ/नहीं
(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं। हॉ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

डा0.......................................)	(डा0.......................................)	(डा0.............................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट 05

Logo of Office (If available)

Experience Certificate

Name of Deptt./Office: ……………………………………………………………
Address of Deptt./Office: ....
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: ....
Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust…………………
Telephone No……………………………………………………………………
Website:...

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. .... Son /Daughter /Wife of shri.. is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent-Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign ....
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.